न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 10/2018 तारीख रजू:– 23.2.2018

ओमप्रकाश पुत्र घासीराम मीना जाती मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
:– अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

तहसीलदार उप तहसील बालघाट जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बालघाट व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम मीना मुकदमा नम्बर 85/2017 तारीख 30.8.2017</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 16.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील वकील अपीलान्ट ने पेश कर बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 30.08.2017 से अप्रश्न होकर बताया है कि खसरा नम्बर 241 रकवा 15 ऐयर ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम मे किसी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है अपीलान्ट अपने पूर्वजो की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। चरागाह भूमि पर किसी प्रकार की ढेचा की फसल नही की गई है। मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को अतिचारी माना गया है। किन्तु पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज नही है। साथ ही अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट पेश कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई ।

बहस बकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस करते हुये अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 241 रकवा 0.015 है0 चरागाह में ढेचा ग्राम ऐदलपुर तहसील टोडाभीम पर कोई अतिक्रमण व कब्जा अपीलान्ट का नही है। साथ ही इस भूमि पर कभी भी कब्जा व अतिक्रमण भविष्य मे अपीलान्ट द्वारा नही करना कथन किया है। आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा व अतिक्रमण नही होना एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है। कि ग्राम ऐदलपुर तहसील टोडाभीम में अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2074 खरिफ मे ढेचा फसल कर चरागाह भूमि खसरा नमबर 241 रकवा 0.15 है0 पर अतिक्रमण करने पर पटवारी ने रिपोर्ट

अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली का निर्णय दिनांक 30.8.2017 के तहत अपीलान्ट ओमप्रकाश पुत्र घासीराम जाति मीना को दी गई 90 दिवास की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली